

तारीख
हुक्म

लय

नी
वाड

31-8-21

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित, वकील वादिया साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं साक्ष्य हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली साक्ष्य वादिया हेतु नियत दिनांक 2-9-21 को पेश हो

2-9-21

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित वकील वादिया ने अपना शपथपत्र मंजूर किया बयान कलम बद किये गये। शा-फा छिपे गये। वकील वादिया ने दस्तावेज मप सूची द्वारा पेश किये जिले शा-फा छिपे गये। वकील वादिया अब कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्य बंद की जाती है वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 10-9-21 को पेश हो

10-9-21

पत्रावली पेश हुई, अधिकाधिक द्वारा न्यायिक कार्य रोकने के पत्रावली दिनांक 10-9-21 को पेश हो।

25-10-21

पत्रावली केस... दिवाली... को पेश हुई। आगामी दिनांक... 04-11-21... को पेश हो।

04-01-22

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित, वकील वादिया ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। वकील वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मन्वर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मोडक जिला भीलवाडा

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डा० पूजा सक्सेना (आ००१०१०)

अनवान प्रकरण

श्रीमती ककुमरी बेवा मैक रेगर निवासी - पुर तहसील व जिला - भीलवाड़ा
हाल मुकाम भगवानपुरा तहसील - माण्डल जिला - भीलवाड़ा

वादी

बनाम

श्रीमती केसर बेवा किशन बलाई निवासी - भगवानपुरा तहसील - माण्डल
श्रीमती दास्ती पत्नी श्री जानुराम बलाई निवासी - भगवानपुरा तहसील - माण्डल
राजस्थान राज्य भरिए तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल
उपपंजीयक अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय माण्डल तहसील माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा मुकदमा नं० / वर्ष १५/११ निर्णय दिनांक ०५-०१-२२

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री अशोक कुमार श्रिय मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया


आकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भगवानपुरा परवार हक्का भगवानपुरा
तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के आराजी नं० ५१२ रकबा ०१ बीघा
०७ बिस्वा, आराजी नं० ५१५ रकबा १५ बिस्वा, आराजी नं० ५१५ रकबा

१० बिस्वा कुल कित ०३ कुल रकबा ०२ बीघा १२ बिस्वा भूमिका

विपुय पत्र के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। तथा उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादिया के

नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आज तारीख ०५-०१-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा